

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2408

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का डिजिटलीकरण

2408. श्री आदित्य यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और सब्सिडी वितरण प्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध और लाभार्थियों के लिए सीधे तौर पर सुलभ बनाने के लिए इसके डिजिटलीकरण के संबंध में कोई सुधार शुरू किया है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त जिले में डीबीटी और सब्सिडी कार्यक्रमों की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित तकनीकी पहलों, शिकायत निवारण प्रणालियों और निगरानी तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित देश में पारदर्शी, डिजिटलीकृत, कुशल, समयोचित और प्रत्यक्ष लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए “सुशासन” की एक पहल है। दिसंबर 2014 में, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को डीबीटी के अंतर्गत भुगतान, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अधिदेशित किया गया था।

डीबीटी लाभार्थियों को लाभों की निर्बाध और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाएं, ऑनलाइन पंजीकरण, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन, आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, पात्रता दस्तावेजों को डिजिटल अपलोड करना और उनका सत्यापन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग आदि जैसी पहलें की गई हैं।

पीएफएमएस को लाभार्थी सूची तैयार करने और उसके प्रसंस्करण; लाभार्थी को भुगतान (एपीबी के माध्यम से या सीधे बैंक खातों में), लेखांकन, उपयोग प्रमाण पत्र तैयार करना; और मंत्रालय से अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करने के बाद मंत्रालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यय की गई सरकारी निधियों की रिपोर्टिंग करने के लिए एंड-टू-एंड समाधान के रूप में विकसित किया गया है।

पीएफएमएस ने शिकायत निवारण के लिए कई चैनल उपलब्ध कराए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने के लिए डीबीटी ओपन हाउस संचालित किया जाता है। यह हितधारकों को पीएफएमएस टीम से सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पीएफएमएस हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों के नियमित और सुव्यवस्थित निपटान के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली का भी उपयोग करता है।

केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को भी सुदृढ़ किया गया है और इसे उमंग पर उपलब्ध कराया गया है ताकि नागरिक अन्य बातों के साथ-साथ डीबीटी से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज कर सकें और उनका समय पर और कुशल निवारण सुनिश्चित किया जा सके। डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी योजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।